न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप चौधरी (आर.ए.एस.)
अनुवान हरीराम बनाम महावीर प्रसाद आदि
वाद संख्या **11** वर्ष **2014**

निर्णय दिनांक :– 11.01.24

1. हरीराम पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

– वादी –

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी तारानगर हाल मकान नम्बर ई 6/267 चित्रकुट राजस्थान
2. अशोक कुमार पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी तारानगर हाल हेमन्त जनरल स्टोर, रेलवे स्टेशन के पास हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ
3. पूनमचन्द पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 01 तारानगर जिला चूरू
4. जगदीश पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 01 तारानगर जिला चूरू
5. भंवरलाल पुत्र सोहनराम जाति कुम्हार निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू
6. किशनलाल पुत्र सोहनराम जाति कुम्हार निवासी तारानगर तह. तारानगर जिला चूरू
7. प्रहलाद पुत्र कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 26 तारानगर जिला चूरू
8. राजेश पुत्र कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 26 तारानगर जिला चूरू
9. शिवरतन पुत्र तोलूराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर (चूरू) **(मृतक)**

9/1 महेन्द्र पुत्र स्व. शिवरतन जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर जिला चूरू

9/2 कान्ता पुत्र स्व. शिवरतन जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर जिला चूरू

9/3 सोनू पुत्र स्व. शिवरतन जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर जिला चूरू

9/4 पूनीत पुत्र सुशीला पत्नी शिवरतन पुत्री शिवरतन जाति ब्राहम्ण निवासी महाजन तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर। C/o फुसराज जाति रंगा गढ़ के पास पो.ओ. महाजन तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर।

10. विष्णुदत पुत्र तोलूराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर (चूरू)
11. सुन्दर पत्नी बंशीधर जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर (चूरू)
12. भंवरलाल पुत्र बंशीधर जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर (चूरू)
13. शुभकरण पुत्र बंशीधर जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर (चूरू)
14. मोतीलाल पुत्र बंशीधर जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25 तारानगर (चूरू)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू

16. खिंवणी पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी सेऊवा तारानगर जिला चूरू
17. मीरा पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी सेऊवा तारानगर जिला चूरू
18. शीशराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी सेऊवा तारानगर जिला चूरू

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
1. श्री रतन कुमार चाचाण एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री आशाराम आचार्य एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.09.2023 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार तारानगर से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने व विवादित भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हक हिस्सा तक की भूमि तक का होना पाया गया है। इस पर कोई आपति प्राप्त नहीं होने व वकील पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार करने पर यह दावा बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि रोही ग्राम ब्राहम्णवासी तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 10 तादादी 06.6766 हैक्टेयर, ख.नं. 103 तादादी 02.2887 हैक्टेयर, ख.नं. 15 तादादी 02.6934 हैक्टेयर, ख.नं. 5 तादादी 05.2856 हैक्टेयर, ख.नं. 6 तादादी 05.7788 हैक्टेयर, ख.नं. 68 तादादी 03.9073 हैक्टेयर कुल तादादी 26.6304 हैक्टेयर का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है कि :–

(1) कृषि भूमि रोही ग्राम ब्राहम्णवासी तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 103 तादादी 02. 2887 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया है, वादी हरीराम पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू के हक में हिस्सा रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू

(2) कृषि भूमि रोही ग्राम ब्राहम्णवासी तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 15 तादादी 02. 6934 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग भूरा से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 क्रमशः भंवरलाल, किशनलाल पिता सोहनराम के हक में बहिस्सा बराबर रहेगी।

(3) बाकी मान्दा बदस्तुर जमाबन्दी रहेगा। जिन खातेदारो की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सन्दीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 11.01.24 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(सन्दीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)